



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 462/2022

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

जसवीर सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह उर्फ अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया हाल आबाद मण्डी किलियांवाली तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)

- वादी

बनाम्

1. सरजीत कौर पत्नी श्री मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मनजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. कर्मजीत कौर पत्नी श्री सतदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. परमजीत कौर पत्नी श्री लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादी जसवीर सिंह ने प्रतिवादीगण सरजीत कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.127 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.542 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वादी के नाम

लगातार --2



-2-

से वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 0.127 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 2.542 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका वादी ने अन्य सहकाशतकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काशत करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाशत बाबत् अन्य किसी भी सहकाशतकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वादी ने अन्य सहकाशतकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काशत करता चला आ रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी जसवीर सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह उर्फ अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया हाल आबाद मण्डी किलियांवाली तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
216/139	42	25/0.127 है.
कुल 0.127 है. कृषि भूमि		

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
217/134	17	25/0.253 है.
217/135	22	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
218/134	16	12/0.190 है., 18/0.025 है., 19,20,21,22/0.253 है.प्र., 23/0.114 है.
218/135	23	1,2/0.253 है.प्र., 3/0.202 है.
कुल 2.555 है. मय गै.मु. कृषि भूमि		

यह कि उक्त बंटवारा के रोज से ही वादी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर काशत करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बंटवारानुसार दर्ज ना होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच अकसर पानी की बारी व लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। वादी का उक्त भूमि में हित स्वत्व व विधिक अधिकार निहित हैं तथा वादी बंटवारा व कब्जाकाशत के अनुसार वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार अपने आपको खातेदार काशतकार घोषित करवा खाता अलग कायम करवा रकम राज अलग से निर्धारित करवाने

लगातार --3



का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार मान लेने तथा उक्त अनुसार घोषणा जारी करवाकर खाता विभाजित करवाकर रकमराज अलग से कायम करवा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये गये जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये, प्रतिवादी सं. 6 द्वारा सम्मन प्राप्ति रसीद पेश हुई जो शामिल मिसल की गई तथा प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 एवं चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की जमाबन्दीयां एवं बैयनामा की चित्रप्रति पेश की गई है। साक्ष्य बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये गये जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये, प्रतिवादी सं. 6 द्वारा सम्मन प्राप्ति रसीद पेश हुई जो शामिल मिसल की गई तथा प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.127 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.542 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।



--: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे एवं काउन्टर क्लेम अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) वादी जसवीर सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह उर्फ अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया हाल आबाद मण्डी किलियांवाली तहसील मलोत जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
216/139	42	25/0.127 है.
कुल 0.127 है. कृषि भूमि		

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
217/134	17	25/0.253 है.
217/135	22	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
218/134	16	12/0.190 है., 18/0.025 है., 19,20,21,22/0.253 है.प्र., 23/0.114 है.
218/135	23	1,2/0.253 है.प्र., 3/0.202 है.
कुल 2.555 है. मय गै.मु. कृषि भूमि		

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः सरजीत कौर पत्नी श्री मेहर सिंह(0.823 है.), मनजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह(0.204 है.) एवं गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह(0.617 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
216/139	42	25/0.126 है.
217/139	43	21ता23/0.253 है.प्र.
217/140	53	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है., 2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है.,
216/140	54	5/1/0.190 है., 5/2/0.063 है.
कुल 1.644 है. मय गै.मु. कृषि भूमि		

(ग) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः सरजीत कौर पत्नी श्री मेहर सिंह(1.265 है.), मनजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह(0.316 है.) एवं गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह(0.949 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-



चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
217/134	17	16ता19,22ता24/0.253 है.प्र.
217/135	22	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है. कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः कर्मजीत कौर पत्नी श्री सतदेव सिंह एवं परमजीत कौर पत्नी श्री लखवीर सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
217/140	53	9ता12/0.253 है.प्र.
216/140	54	6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., कुल 1.518 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया



डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 462/2022

जसवीर सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह उर्फ अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया हाल आबाद मण्डी किलियांवाली तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)

- वादी

बनाम्

8. सरजीत कौर पत्नी श्री मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. मनजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. कर्मजीत कौर पत्नी श्री सतदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. परमजीत कौर पत्नी श्री लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी जसवीर सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह उर्फ अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया हाल आबाद मण्डी किलियांवाली तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

216/139

42

25/0.127 है.



-2-

कुल 0.127 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
217/134	17	25/0.253 है.
217/135	22	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
218/134	16	12/0.190 है., 18/0.025 है., 19,20,21,22/0.253 है.प्र., 23/0.114 है.
218/135	23	1,2/0.253 है.प्र., 3/0.202 है.

कुल 2.555 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः सरजीत कौर पत्नी श्री मेहर सिंह(0.823 है.), मनजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह(0.204 है.) एवं गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह(0.617 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
216/139	42	25/0.126 है.
217/139	43	21ता23/0.253 है.प्र.
217/140	53	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है., 2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है.,
216/140	54	5/1/0.190 है., 5/2/0.063 है.

कुल 1.644 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः सरजीत कौर पत्नी श्री मेहर सिंह(1.265 है.), मनजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह(0.316 है.) एवं गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह(0.949 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 103/17 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
217/134	17	16ता19,22ता24/0.253 है.प्र.
217/135	22	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.

कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः कर्मजीत कौर पत्नी श्री सतदेव सिंह एवं परमजीत कौर



- 3 -

पत्नी श्री लखवीर सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 27/19 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
217/140	53	9ता12/0.253 है.प्र.
216/140	54	6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., कुल 1.518 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत्X....
.....निल.....100/-..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया